



“द लिवर केयर फाउंडेशन ”

अंगदान महादान

DORSO
DECEASED ORGAN RETRIEVAL
SHARING ORGANIZATION

अंगदान और प्रत्यारोपण क्या है

अंग प्रत्यारोपण, अंगों और ऊतकों को एक व्यक्ति (दाता) से अन्य व्यक्ति में (प्राप्तकर्ता) अंग लगा दिए जाने की प्रक्रिया है। अंगदान की अनुमति के बाद ही अंगों और ऊतकों को शरीर से निकाला जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है। ज्यादातर लोग अंगों और ऊतकों का दान मरने के बाद ही करते हैं। परन्तु कई जीवित व्यक्ति द्वारा कुछ अंगों का दान भी किया जाता है।

अंगदाता कौन हो सकता है?

अंगदाता बनने के लिए किसी भी उम्र की सीमा नहीं है। शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक अंगदाता बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है तो उसे अंगदाता बनने के लिए परिवार की सहमति की आवश्यकता होगी।

अंगदाता कौन नहीं बन सकता है?

कुछ चिकित्सा के हालात ऐसे होते हैं जिसमें लोग अंगदान नहीं कर सकते। इनमें शामिल हैं :

- i.HIV से ग्रस्त व्यक्ति
- ii.कैंसर से पीड़ित व्यक्ति

अंगदान व उम्र

कोर्निया (आंखें) – 0 से 100 वर्ष तक
हृदय वाल्ब – 0 से 60 वर्ष तक
त्वचा – 16 से 85 वर्ष तक
गुर्दे – 0 से 70 वर्ष तक
हृदय – 0 से 60 वर्ष तक
जिगर – 0 से 70 वर्ष तक
फेफड़े – 0 से 60 वर्ष तक

समय का महत्व और सुरक्षित अंग प्रत्यारोपण
गुर्दे – 48 घंटे
अग्नाशय (पेनाक्रियास) – 24 घंटे
जिगर – 12 घंटे
हृदय और फेफड़े – 6 घंटे
आंखें – 8 घंटे

लगभग 23 ऐसे ऊतक और अंग हैं जिन्हे दान किया जा सकता है।

अंग प्रत्यारोपण के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (सवाल) :

1-मुझे लगता है कि एक बार अंगदाता कार्ड पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद किसी दुर्घटना में मेरा ख्याल नहीं रखा जाएगा।

यह कभी नहीं होगा, जान बचाने के लिए हर चिकित्सा कार्मियों की जिम्मेदारी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक मरीज को मृतक प्रमाणित करने के बाद ही अंगदान की उपयुक्ता, अंग विफलता के साथ ही रोगी को नया जीवन देने के लिए विचार किया जाता है।

2-मेरे अंगदान के बारे में परिवार के सदस्यों को जानकारी नहीं है।

यदि अंगदाता किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता हैं और उसके परिवार के सदस्यों को पंजीकारणफार्म के बारे में जानकारी नहीं है तो मृतक का अंगदान नहीं लिया जा सकेगा।

3-मैं अंगदान के लिए बहुत बूढ़ा हूँ।

अंगदाता बनने के लिए कोई भी उम्र सीमित नहीं है। नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक अंगदाताबन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है तो उसे अंगदाता बनने के लिए अपने परिवार की सहमति आवश्यक है।

4-मैं पिछले समय से बिमार रहा हूँ और मेरा शरीर अंगों और ऊतकों के दान के लायक नहीं हैं।

कैंसर व सक्रामक बिमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपना अंग दान नहीं कर सकते। डाक्टर द्वारा ही यह तय किया जाता है कि व्यक्ति का अंग दान करने लायक है या नहीं।

5-मैं चिंतित हूँ कि अंतिम संस्कार में अंगदान देने से मेरा शरीर प्रभावित होगा।

एक बार सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात (दाता) परिवार वालों की सहमति के बाद प्रत्यारोपण की क्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाती है। यह कार्य बहुत सम्मान के साथ किया जाता है। मृत व्यक्ति के पूरे शरीर की विकृति नहीं होती है।

6-मैं चिंतित हूँ क्योंकि मैं अपने पूरे अंगदान नहीं करना चाहता मैं केवल कुछ ही अंगदान करना चाहता हूँ।

केवल उन्हीं अंगों को लिया जाता है जिनका उल्लेख अंगदाता कार्ड में कर रखा है। इसके अतिरिक्त अंगदान के पहले परिवार की सहमति की आवश्यकता होती है।

7-प्राप्तकर्ता या उसके पारिवार वाले अंगदाता का नाम और पता जानना चाहते हैं ताकि उनका धन्यवाद कर सकें दाता और प्राप्तकर्ता की गोपनीयता का हमेशा सम्मान किया जाएगा, प्राप्तकर्ता और दाता के व्याकितगत विवरण, का खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन अंगदाता के प्रत्यारोपण के बाद उसके पारिवार को प्राप्त कर्ता के स्वास्थ के बारे में सूचित किया जाता है।

कुछ भ्रमः जो अंगदाता बनने से रोकती हैः

भ्रमः बीमारी, उम्र और शारीरिक दोष जैसी कुछ बातें हैं जो मुझे अंगदाता बनने से रोकती हैं।

तर्कः हर व्यक्ति जो अंगदान करता है उसकी चिकित्सक जांच होती हैं और मरने तक इस बात का ध्यान दिया जाता है की उसके कौन से अंग दान करने लायक हैं। जो लोग पहले से ही कैंसर या अन्य गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो उन्हें पहले से ही पंजीकारणफार्म में उल्लेख होगा।

भ्रमः अगर डॉक्टर को पता चलेगा की मैं एक अंगदाता हूँ वह मेरा जीवन बचाने का प्रयास नहीं करेंगे।

तर्कः डॉक्टर और चिकित्सक कर्मचारी किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हर कोशिश के लिए वचनवद्ध होते हैं। दान के लिए अंग तभी निकाले जाते हैं जब यह निश्चित हो जाए की किसी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हुई निश्चित करने का काम जो डॉक्टर करता है वह अंग निकालने वाली टीम से पूरी तरह स्वतंत्र होता है।

भ्रमः मेरे पारिवार से अंगदान के लिए शुल्क लिया जाएगा।

तर्कः अंगदान के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। चिकित्सा खर्च व अन्तिम संस्कार की वयवस्था से जुड़े खर्चों के लिए भुगतान की उम्मीद की अस्पताल या डॉक्टर से नहीं की जा सकती है।

भ्रमः अंग निकालने के बाद शरीर को अन्तिम संस्कार के लिए पारिवार के सदस्यों को नहीं सौंपा जायेगा।

तर्कः अंग निकालने के बाद शरीर को पूरे सम्मान पूर्वक और गरिमा के साथ अन्तिम संस्कार के लिए पारिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाता है।

विश्वास करें कि अंगदान करके आप किसी का जीवन बचा सकते हैं

एक दाता 8 को नयी ज़िन्दगी दे सकता है

**दोस्त बने और डोर्सो (DORSO) में पंजीकरण करवायें
सम्पर्क करें : www.dorso.Org**